

प्रेषक,

निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड  
देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
चमोली/पिथौरागढ़/पौड़ी/अल्मोड़ा/उत्तरकाशी/  
टिहरी/नैनीताल/चम्पावत।

पत्रांक/सेवायें-2/सेवा0अराज/19317-18 /तीन(ग)/28/2024-25 दिनांक 19 नवम्बर, 2024  
विषय: राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों की तैनाती/नियुक्ति के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों के दृष्टिगत माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-3781/xxiv-B-1/22-32(01)/2013 T.C.V. दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 द्वारा शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 के क्रम में गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचर की तैनाती शासनादेश 1023 दिनांक 22-11-2018 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। सूच्य है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22-11-2018 के क्रम में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0 एल0टी0 एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों के प्रति गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से तत्समय ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे। तत्समय प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों के आधार पर विषयवार अवशेष अभ्यर्थियों में से प्रवक्ता संवर्ग के कुल 145 (गणित 19, भौतिक विज्ञान 33, रसायन विज्ञान 23, जीव विज्ञान 22 एवं अंग्रेजी 48) रिक्त पदों के सापेक्ष जनपदवार, संवर्गवार, विषयवार मेरिट सूचियां तैयार कर आपको ई मेल आई0डी0 एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के प्रस्तर-2(8) एवं प्रस्तर-2(11) में वर्णित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं विद्यालय का आवंटन करते हुये, निदेशालय के पत्रांक 27808-09 दिनांक 01 जनवरी, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का संज्ञान लेते हुए जनपद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र में दिये गये विवरणों से मिलान कर भली-भांति सत्यापन करवाने के उपरान्त शासनादेश संख्या 1023 दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में विहित व्यवस्थानुसार 01 सप्ताह के अन्तर्गत तैनाती हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। भौतिक विज्ञान (सामान्य शाखा) तथा रसायन विज्ञान (सामान्य शाखा) में अनु0 जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सम्बन्धितों की चयन सूची सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्गत नहीं की गयी है।


गेस्ट फैकल्टी की तैनाती प्राथमिकता के आधार पर ऐसे विद्यालयों में की जाय जहां शिक्षकों के अधिक पद रिक्त हों, एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

संलग्न-उक्तवत्।

भवदीय

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/ सेवायें-2/सेवा0अराज/19317-18 /तीन(ग)/28/2024-25 दिनांक उक्तांकित।  
प्रतिलिपि, मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद-रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि उप निर्वाचन 2024 की चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

  
(डॉ० मुकुल कुमार सती)  
निदेशक

LECTURER ENGLISH GENERAL- 01 (Uttarkashi)

Dated 15-11-2024

S. No	APPLICATION ID	NAME	FATHER NAME	DOB	GENDER	CASTE	MOBILE	EE DISTRICT	EE NUMBER	HORI RESERV ATION	POINT	CHOICE	DISTRICT	CATEGORY
1	18185508AU1M1 521-02	MEENU SHARAMA	RAMESH CHANDRA SHARMA	14-03-1991	FEMALE	SC	9457686907	Paurl	UA15120118 85	WO	18.0385	13 CHOICE	UTTARKASHI	SC-WO

जगमोहन सिंह सोरियाल  
प्रशासनिक अधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, उत्तरकाशी

*Q.M.*  
12.11.2024

रमेश सिंह  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा

*Q.M.*

(जगदीश प्रसाद कार्ता)  
उप निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा उत्तरकाशी

कुलदीप मैरौला  
उप राज्य परियोजना निदेशक  
समग्र शिक्षा उत्तरकाशी।

माध्यमिक शिक्षा  
निदेशक, उत्तरकाशी  
नन्दखोला, देहरादून

*Q.M.*  
15.11.2024